

प्रेषक

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिंगो
161, नेहरू नगर, देहरादून।

सनात कल्याण अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 18 अगस्त, 2005

विषय:- अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित "जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना" में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 136/XVII(1)-1/2005-10(बजट) / 2004 दिनांक 22 नार्च 2005 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करना है कि अनुसूचित जनजाति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में कातिपय व्यवहारिक कठिनाईयों को हट करने एवं योजना को अधिक सरल एवं प्रभावकारी बनाने के दृष्टिगत सशास्त्र योजना के क्रियान्वयन करने का कष्ट करें।


योजना का स्वरूप:-

अनुसूचित जनजाति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के निम्नलिखित घटक होंगे:-

- 1- सूचना संकलन अनुश्रवण एवं सूचनाकन
- 2- क्रण अनुदान एवं अन्य सुविधाएं
- 3- क्षमता विकास एवं कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण

(1) सूचना संकलन एवं मूल्यांकन:-

आर्थिक क्रियाकलापों के सफल संचलन के लिए समूह विशेष की आधारभूत सूचनाएं जिसमें उनके मुख्य व्यवसायेक गतिविधियाँ, आर्थिक सामाजिक स्तर तथा अभिलाचियों की जानकारी का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समूह विशेष के लिए संचालित योजना की सफलता के अँकलन के लिए सत्त अनुश्रवण एवं समय-समय पर सूचनाकन अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। जिसके फलस्वरूप योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों और योजना के सफलता अथवा असफलता के कारकों को जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लक्षित समूहों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, सर्वेक्षण, गोष्ठियों तथा कार्यशालाएँ के लिए योजना तथा बजार सर्वेक्षण आदि



पद्धतियों से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त योजना के प्रचार-प्रसार के लिए गोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जायेगा। सूचना संकलन, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था योजनान्तर्गत की जायेगी किन्तु यह धनराशि वार्षिक रूप से आवन्तित धनराशि का अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित की जाती है।

(2) ऋण अनुदान एवं अन्य सुविधाएः—

जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सावधि ऋण प्रदान किया जायगा जिसके लिए पात्रता एवं ऋण की मात्रा, ब्याज दर, आदि का विवरण निम्नवत्त है—

(क) ऋण हेतु पात्रता:- योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करने हेतु निम्न पात्रताएं निर्धारित की जाती हैं—

- 1— आवेदनकर्ता उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिये।
- 2— आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
- 3— वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹ 0 55,000/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 0 40,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र के बी०पी०एल० परिवारों हेतु प्रमाणपत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।
- 4— अनुसूचित जनजाति की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।

लाभार्थी चयन:- योजनान्तर्गत इच्छुक लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर एक चयन समिति निम्नवत गठित की जाती है—

- | | |
|---|------------|
| 1— जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी(स्वयं अथवा नामित अधिकारी) | अध्यक्ष |
| 2— जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक | सदस्य-सचिव |
| 3— लीड बैंक अधिकारी | सदस्य |
| 4— महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र | सदस्य |
| 5— सफल स्वरोजगारी(अनुसूचित जनजाति) | सदस्य |
| 6— सहायक प्रबन्धक, उ०बह०वित्त एवं विकास निगम | सदस्य |

(ख) परियोजना लागत:- इस योजना के अन्तर्गत परियोजना की न्यूनतम लागत ₹ 0 50,000/- एवं अधिकतम ₹ 0 2.00 लाख निर्धारित की जाती है। योजना के अन्तर्गत योजना की लागत का 60 प्रतिशत बैंक ऋण तथा 30 प्रतिशत मार्जिनमनी ऋण योजना हेतु आवन्तित धनराशि से स्वीकृत किया जायेगा। परियोजना लागत की अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि में अधिकतम ₹ 0 10000/- अनुदान तथा लाभार्थी अंश के रूप में सम्मिलित होगी। अनुदान back

ended रूप में होगा। जिन लाभार्थियों के पास योजना से संबंधित अदस्त्यापना सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें योजना की लागत का 50 प्रतिशत धनराशि उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्यशील पूँजी के लिये ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर जायेगी।

(ग) ब्याज की दर:- परियोजना लागत का 30 प्रतिशत मार्जिनमनी ऋण निगम द्वारा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 60 किस्तों में वसूल किया जायेगा जब कि बैंक ऋण में बैंक की प्रचलित ब्याज दरें लागू होंगी।

(घ) अनुदान:-योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अभिप्रेरित करने की दृष्टि से अनुदान की व्यवस्था की जाती है। अनुदान परियोजना लागत के सापेक्ष अधिकतम रु0 10,000/- प्रदान किया जायेगा।

(ड.) लाभार्थी अंश:- परियोजना के प्रति लाभार्थी के सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना लागत में लाभार्थी अंश की व्यवस्था निम्नवत की जाती है:-

रु0 1.00लाख तक की योजनाओं में—

कुछ नहीं

रु01.01से रु0 2.00 लाख तक की योजनाओं में—

10 प्रतिशत

(च) परियोजनाएः—लाभार्थी अपने स्वरोजगार के लिए व्यवसाय /परियोजना का चयन करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। कृषि,उद्योग, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्र में लाभकारी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए लाभार्थी अपने कौशल तथा स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता,विपणन की स्थिति आदि के दृष्टिगत स्वविवेक से चयन करेगा तथापि निगम द्वारा सूचना के मूल्यांकन एवं अध्ययन के माध्यम से जो परिणाम प्राप्त होंगे उनके आधार पर क्षेत्र विशेष हेतु उपयुक्त योजनाओं का निर्धारण किया जायेगा और उनकी जानकारी लाभार्थी को उपलब्ध कराई जोयगी। क्षेत्र विशेष में विशिष्ट समूह आधारित परियोजनाओं में ऋण वितरण पर बल दिया जाय ताकि अच्छी परियोजनाओं की स्थापना की जा सके जिससे ऋण ग्रहिताओं को अच्छी आय प्राप्त सके। परियोजना की लागत का स्वरूप (Shelf of Project)यद्यपि लाभार्थी की आवश्यकता एवं विपणन आदि की सम्भावनाओं के दृष्टिगत निरूपित किया जायेगा तथापि नाबाड़ द्वारा विकसित मानक परियोजना लागत को मुख्य आधार बनाया जायेगा।

(छ) अवस्थापना एवं अन्य सुविधाएः—स्वरोजगार हेतु वित्तपोषित लाभार्थियों के व्यवसाय को सुदृढ़ और आयजनक बनाने के लिए ऋण आदि के साथ-साथ कतिपय अन्य सहायक सुविधाओं एवं

सहयोग की आवश्यकता पड़ती है जैसे:- लाभार्थियों को विषयन संबंधी ज्ञानकारी उपलब्ध कराना या उनके द्वारा उत्पादित माल के विषयन में वृद्धि के लिए आंशिक रूप से वित्तीय एवं भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना सम्मिलित है। अवस्थापना विकास एवं सहायक सुविधाओं में कम से कम 25 व्यक्तियों के समूह आधारित परियोजनाओं हेतु सामूहिक प्रशिक्षण एवं ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं उनके वर्क शैड आदि की स्थापना के लिए अवस्थापना मद में 50 प्रतिशत या अधिकतम रु 50,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर ऋण के रूप में प्राविधानित की जायेगी जिसकी वसूली 60 समान किस्तों में संबंधित कलस्टर/समूह से की जायेगी। समूह जिस क्रियाकलाप में प्रशिक्षित हो, समूह के रूप में उस क्रियाकलाप को चला सकेगा किन्तु प्रत्येक सदस्य के ऋण आवेदन पत्र पृथक—पृथक भरे जायेंगे एवं उनसे ऋण की वसूली 60 समान किस्तों में की जायेगी। योजनान्तर्गत विषयन प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की जाय। लाभार्थियों के द्वारा उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के दृष्टिगत आयोजित किये जाने वाले क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय एवं अन्तर्राज्यीय प्रदर्शनी स्थलों में स्टाल लगाने एवं माल की छुलाई में आने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति योजना राशि से की जायेगी। यह राशि परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी अपितु योजनान्तर्गत वित्तपोषित अथवा अन्य पात्र उद्यमी को एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों हेतु लाभार्थी को माल छुलान एवं स्टाल किराया के लिये वास्तविक व्यय की धनराशि का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु 5000/- तथा राज्य से बाहर आयोजित प्रदर्शनियों हेतु अधिकतम रु 10000/- की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सहायता critical gap के रूप में अन्य विभागों से इस मद में सहायता न मिलने पर ही दी जायेगी। यह सहायता किसी लाभार्थी को एक ही बार अनुमन्य होगी।

(3) क्षमता विकास एवं कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण:- अनुसूचित जन जाति के जो लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये हैं उनको सफल स्वरोजगारी बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक प्रतीत होता है। प्रशिक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होंगे-

(1) लघु अवधि प्रशिक्षण : इसके अन्तर्गत लाभार्थी को स्वरोजगार के प्रति अभिप्रेरित किया जाना सम्मिलित है और उसका अभिमुखीकरण किया जाना है जिसके अन्तर्गत उद्यमिता विकास भी निहित है। लघु अवधि प्रशिक्षण के अन्तर्गत योजना के सम्बन्ध में जागरूकता सूजन, प्रोत्साहनवर्द्धन, अभिमुखीकरण के अतिरिक्त स्वरोजगार हेतु चयनित लाभार्थियों को संक्षिप्त उद्यमिता विकास प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्मिलित होंगे।


इन प्रशिक्षणों की अवधि अधिकतम छः माह होगी। अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिनव विकास, प्रचार-प्रसार एवं सांकेति गोष्ठियां एवं सेमीनार के माध्यम से लाभार्थियों को जानकारी प्रदान की जायेगी।

(2) दीर्घ अवधि अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण : दीर्घ अवधि अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि छः माह से अधिक किन्तु अधिकतम एक वर्ष होगी। जिसके अन्तर्गत कौशल वृद्धि तथा क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण सरकारी अथवा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु गैर-सरकारी संस्थानों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। क्षमता विकास हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण (Skill based training) के अन्तर्गत तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित किये जायेंगे। प्रशिक्षण के अन्तर्गत कम्प्यूटर कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, इलैक्ट्रिशियन, ब्यूटीशियन, होटल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, साफ्ट टॉय निर्माण, सिलाई-कढ़ाई आदि अन्य आयजनित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए एक प्रकार के कौशल/रोजगार सम्बन्धित न्यूनतम लाभार्थियों की संख्या (लगभग 20) उपलब्ध होने पर ही प्रशिक्षण दिए जाएंगा।

अतः उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना का सफल क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

भवदीया,


(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या: 795(1) /XVII(1)/2005-10(बजट) / 2008 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्ति:-
- 1- निजी सचिव, मा० समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
 - 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
 - 5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०
 - 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 - 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
 - 8- निदेशक, जनजाति कल्याण, हल्द्वानी, नैनीताल।
 - 9- समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, देहरादून।
 - 10- समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
 - 11- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०, उत्तराखण्ड।
 - 12- समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, लीड बैंक, उत्तराखण्ड।
 - 13- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)
उप सचिव